

राजस्थान सरकार
कार्यालय, प्रधानाचार्य, चौ० मालूराम भांभू
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर


दिनांक 12.09.2023

क्रमांक:गंगापो/एंटीरेगिंग/2023-24/

कार्यालय-आदेश

श्रीमान् निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के पत्रांक 7080-7140 दिनांक 13.8.09 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 887/09 एसएलपी(सी)27295/2000 में पारित आदेश दिनांक 11.2.09 के दिशा निर्देशों जो कि dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है की अनुपालना में सत्र 2023-24 से आगामी आदेशों तक संस्थान में **एंटीरेगिंग स्क्वाड** का निम्नानुसार गठन किया जाता है जो कि रेगिंग को रोके जाने के संबंध में सदैव सजग रहेगा तथा आकस्मिक रूप से छात्रावासों, केन्टीन एवं अन्य स्थानों जहां पर रेगिंग की संभावना हो, समय-2 पर निरीक्षण करेगा। उक्त निदेशालय के पत्रांक में वर्णित समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाते हुए नव प्रवेशित छात्रों के ग्रुप बनाकर रेगिंग ना हो इस हेतु संस्थान के अध्यापकों/कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपेंगे। और नव प्रवेशित छात्रों में कमेटी स्क्वाड सदस्यों एवं छात्रावास अधीक्षक के दूरभाष नम्बरों को सूचित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

क.स.	स्क्वाड सदस्यों के नाम व पद	कार्य विवरण	दूरभाष नम्बर
1	श्री पी के राय वरि० प्रवक्ता विद्युत	अध्यक्ष	9414544049
2	श्री गुंजन कुमार, प्रवक्ता भौतिकी	सदस्य	9829087077
3	„ रवि कुमार जाखड प्रवक्ता विद्युत	सदस्य	8058740833
4	श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रवक्ता कम्प्यूटर	सदस्य	8058051716



प्रधानाचार्य

दिनांक 12.09.2023

क्रमांक:गंगापो/एंटीरेगिंग/2023-24/ 1074,

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर ।
2. श्रीमान् सचिव, प्राविधिक शिक्षा मंडल, जोधपुर के पत्रांक 4726/10.8.10 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. श्री पी के राय वरि० प्रवक्ता विद्युत एवं एंटी रेगिंग कमेटी अध्यक्ष । (संलग्न पत्रांक 7080-7140/13.8.09)
4. उक्त समस्त सदस्यों को पालनार्थ ।
5. श्री भूपेन्द्र सिंह प्रवक्ता कम्प्यूटर उक्त एंटी रेगिंग स्क्वाड की प्रति को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड संस्थान एवं छात्रावास द्वारा समस्त विद्यार्थियों हेतु ।


प्रधानाचार्य
चौ. मालूराम भांभू राजकीय पोलिटेक्निक
महाविद्यालय, श्रीगंगानगर